-:प्रेस नोटः-

दिनांक- 28.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा सूचना के 12 घण्टे के अन्दर अन्तर्राज्यीय चोरी/टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्त पति-पत्नी को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की शत् प्रतिशत नगदी (15 हजार रुपए) बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा चोरी, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.02.2026 को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्त पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 28.02.2026 को थाना अतर्रा क्षेत्र के रहने वाले जगप्रसाद त्रिवेदी द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 25.02.2026 को कस्बा अतर्रा में ई-रिक्शें में उसके साथ 15000 रुपए चोरी/टप्पेबाजी की घटना हुई है। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में सूचना के 12 घण्टे के अन्दर थाना अतर्रा पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पति-पत्नी को बांदा रोड़ नहर पुलिया कस्बा अतर्रा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उनके द्वारा आस-पास के जनपदों मे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चोरी/टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि इनके गिरोह में और कितने लोग सम्मलित हैं तथा इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जा रही है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 15000 रुपए बरामद हुए हैं।

बरामदगी-

- 15000 रुपए (चोरी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बाकरअली पुत्र मुन्शी निवासी सरवई थाना सरवई जनपद छतरपुर(म0प्र0))।
2. नजमा पत्नी बाकर अली निवासिनी सरवई थाना सरवई जनपद छतरपुर(म0प्र0))।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 88/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बबेरू जनपद बांदा।
- बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना बबेरू जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष अतर्रा श्री संजीव चौबे
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रताप
3. म0उ0नि0 पूजा रायकवार
4. कां0 पंकज द्विवेदी
5. कां0 राजीत यादव